न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी–श्री महेन्द्र लोढ़ा

तारीख रज्जू– 04/09/17

...नी संख्या– 51/17

शाबुद्दीन पुत्र कासीम जाति गद्दी मुसलमान उम्र 62 वर्ष निवासी दोबड़ा कलां तहसील सवाईमाधोपुर। ——— निगरानी गुजार

बनाम

1. मंजूर अली पुत्र वाद खां जाति गद्दी निवासी दोबड़ा कलां तहसील सवाईमाधोपुर। ——— अप्रार्थी
2. सरपंच ग्राम पंचायत मखोली तहसील सवाईमाधोपुर ।

दिनांक–30.8.19

निर्णय

प्रार्थीगण ने यह निगरानी प्रार्थनापत्र ग्राम पंचायत मखोली द्वारा मिसल संख्या 1 निर्णय दिनांक 05.04.07 में अप्रार्थी सं0 1 के हक में जारी पट्टा निर्णय दिनांक 05.09.07 के विरूद्ध प्रस्तुत किया है, साथ ही प्रार्थी ने ग्राम पंचायत मखोली द्वारा अप्रार्थी सं0 1 के हक में जारी पट्टा निर्णय दिनांक 05.09.07 निरस्त फरमाने हेतु निवेदन किया है।

निगरानी प्रार्थना पत्र न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर से स्थानान्तरण होकर वास्ते मौका रिपोर्ट तलबी न्यायालय हाजा में प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा मौका रिपोर्ट प्राप्त होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील निगरानी गुजार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का हवाल देते हुए बहस में निवेदन किया है कि अप्रार्थी ने ग्राम पंचायत मखोली से साज कर निगरानीगुजार के हिस्से की आराजीयात चुपचुप तरीके से निगरानी गुजार के हिस्से पर 45/43 फुट का पट्टा 05.09.07 को प्राप्त कर लिया। उक्त वाद आराजीयात का पट्टा जारी करने का कानूनी अधिकार ग्राम पंचायत को नहीं है। उक्त वाद आराजीयात निगरानी गुजार द्वारा 1/3 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा क्रय किया गया था। तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 10.04.19 के अनुसार उक्त वाद आराजीयात पर वर्तमान में भी निगरानीगुजार का मकान बाड़ा बना हुआ है, साथ ही वकील निगरानीगुजार ने ग्राम पंचायत मखोली द्वारा अप्रार्थी सं0 1 के हक में जारी पट्टा निर्णय दिनांक 05.09.07 निरस्त फरमाने हेतु निवेदन किया है।

विद्वान वकील अप्रार्थीगण ने दौराने बहस निवेदन किया कि ग्राम पंचायत ने अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र पर नियमानुसार एक माह का आपत्ति नोटिस जारी कर मौका देखकर सम्पूर्ण कोरम में आवंटन किया है। जो नियमानुसार एवं न्यायोचित है, साथ ही वकील निगरानीगुजार ने ग्राम पंचायत मखोली द्वारा अप्रार्थी सं0 1 के हक में जारी पट्टा निर्णय दिनांक 05.09.07 यथावत रखने हेतु निवेदन किया है।

उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने व अदालत मातहत की पत्रावली का अवलोकन करने पर सर्वप्रथम यह पाया गया कि निगरानीगुजार द्वारा उक्त वाद आराजीयात जरिये विक्रय पत्र क्रय करना अवगत कराया है तथा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की प्रति भी प्रस्तुत की है, साथ ही अदालत मातहत की पत्रावली में संलग्न पटवारी रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूमि आबादी भूमि है तथा अदालत मातहत द्वारा नियमानुसार एक माह का आपत्ति नोटिस जारी कर मौका देखकर कोरम में उक्त पट्टा

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

जारी किया गया है। उक्त प्रकरण में एक तरफ पटवारी हल्का द्वारा उक्त भूमि आबादी भूमि होना बताया है। वहां ही दूसरी तरफ निगरानी गुजार द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की प्रति भी प्रस्तुत की है। ऐसी स्थिति में उक्त प्रकरण ग्राम पंचायत को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाना उचित होगा कि तहसीलदार सवाईमाधोपुर से उक्त वाद आराजीयात आबादी भूमि में है अथवा नहीं रिपोर्ट प्राप्त कर तथा निगरानीगुजार द्वारा प्रस्तुत रजिस्टर्ड विक्रय पत्र का मद्देनजर रखते हुए उभय पक्षों को सुनकर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करे।

अतः मेरे अभिमत में निगरानी गुजार द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत खोली द्वार अप्रार्थी सं0 1 के हक में जारी पट्टा निर्णय दिनांक 05.09.07 निरस्त करते हुए अदालत मातहत को निर्णय की प्रति इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित की जाती है कि तहसीलदार सवाईमाधोपुर से उक्त वाद आराजीयात आबादी भूमि में है अथवा नहीं रिपोर्ट प्राप्त कर तथा निगरानीगुजार द्वारा प्रस्तुत रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को मद्देनजर रखते हुए उभय पक्षों को सुनकर पुनः नए सिरे से निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 30.8.19 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महेन्द्र लोढ़ा)
अति0जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर